23

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1038—दो / 2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27—04—2015 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 107 / अपील / 2014—15.

.....

1—अजीत कुमार तनय स्व0 श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव
2—कु0 निरूपमा पुत्र स्व0 श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव
निवासीगण प्रायमरी स्कूल के पास धवारी
तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—अरूण कुमार तनय स्व0 श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव
निवासी आकाश गंगा नगर उत्तरी पतेरी सतना
तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0
2—श्रीमती रश्मि पत्नी अनिल कुमार श्रीवास्तव
निवासी प्रायमरी स्कूल के पास धवारी
तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0
3—श्रीमती दीप्ती पत्नी विनय शंकर श्रीवास्तव
निवासी कर्मी जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश

—— अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक अनावेदकगण

——

आदेश

(आज दिनांक 21/12/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13—07—2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आजिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक अजीत कुमार तनय श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव निसासी घवारी द्वारा दिनांक 29.6.09 को तहसीलदार तहसील रघुराजनगर जिला सतना के न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109/110 के तहत प्रस्तुत कर वसीयतनाम के आधार पर नामांतरण करने की मांग की। तहसीलदार द्वारा दिनांक 25.4.14 को नामांतरण का आवेदन स्वीकार किया गया। इससे दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक दिनांक 13.10.14 को अपील निरस्त करते हुये विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा। इससे से दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा प्रकरण क्रमांक 107/अपील/2014–15 पर दर्ज करते हुये दिनांक 27.4.15 को अपील स्वीकार की गई अर्थात अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया। इससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त रीवा का आदेश अनुचित एवं मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है, कि इस प्रकरण से संबंधित संपत्ति आवेदकगण के पिता स्व0 गिरीश श्रीवास्तव की स्वअर्जित संपत्ति है जो उन्होंने पंजीकृत विकय पत्र से कय की थी। पंजीकृत विकय पत्र की प्रति अपर आयुक्त के समक्ष आवेदन के साथ दिनांक 30.3.15 को प्रस्तुत की गई थी। आवेदकगण के पिता ने दिनांक 20.10.2000 को अपनी समस्त संपत्ति का एक वसीयतनामा निष्पादित कर उसे पंजीकृत कराया था जिस में उन्होंने अपनी संपत्ति की व्यवस्था इस प्रकार की थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति उनकी पत्नी श्रीमती शैल श्रीवास्तव को प्राप्त होगी तथा उनकी एवं उनकी पत्नी मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति उनके छोटे पुत्र आवेदक क्रमांक–1 को प्राप्त होगी स्वाधीन संपत्ति के अतिरिक्त उनकी पेंशन पोस्ट ऑफिस एवं बैंक में जमा राशि भी आवेदक क्रमांक–1 को ही मिलेगी। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदकगण के पिता ने अपनी वसीयत में आवेदक–1 को अपनी संपत्ति तथा धनराशि देने एवं अनावेदकगण को न देने के लिये विस्तार से कारणों का भी वर्णन किया था। पिता की मृत्यु के पश्चात नामांतरण की कार्यवाही में आवेदक ने साक्ष्य द्वारा उक्त पंजीकृत वसीयतनामें को

साक्ष्य द्वारा शंका से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर वसीयतनामे को मान्यता देते हुये प्रारंभिक न्यायालय ने आवेदक कमांक–1 का नामांतरण आदेशित किया । अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील में प्रारंभिक न्यायालय के आदेश को यथावत रखा गया। अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपर आयुक्त ने विवादित आदेश द्वारा असंगत आधारों पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशें को निरस्त करने में अपने विचारधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है। अपर आयुक्त ने अभिलेख को देखे बिना तथा तहसील आदेश को पढ़े बिना विवादित आदेश पारित किया है। तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में लिखा है कि अनावेदकों को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये अनेक अवसर दिये गये लेकिन उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कियां दिनांक 6.7.13 को वसीयत के सक्षियों के कथनों पर प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिया गया है, जिसका लाभ अनावेदकों ने नहीं लिया। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अपर आयुक्त ने पैतृक संपत्ति के नामांतरण प्रकरण में अपील कमांक 1582/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 13.4.12 के विरूद्व राजस्व मण्डल के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन लंबित है जिसका प्रकरण कमांक 1208–एक/2012 है। अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदकगण के पिता ने अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखा था कि उनके बडे पुत्र अनावेदक–1 आर्थिक रूप से सक्षम है तथा संपत्ति लेकर पृथक रह रहे हैं। अनावेदक –2 ओर अनावेदक–3 ने उन्होंने विवाह कर दिया हे । आवेदक कमांक–1 के हित में अपनी स्वअर्जित संपत्ति देने का विशेष कारण यह भी था कि उनकी सबसे छोटी पुत्री आवेदक–2 अविवाहित है तथा आवेदक कमांक–1 पर ही निर्भर है। आवेदक कमांक–1 को अपनी अविवाहित बहन का उत्तर दायित्व जीवन भर निभाना है। अंत में निवेदन किया गया है कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 27.4.15 निरस्त कर आवेदकगण की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की। लेखी बहस में उनके द्वारा लेख किया गया है कि आवेदकगण एवं अनावेदकगण आपस में सगे भाई बहन है। आवेदक द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया था उसका विरोध किया गया था कि जो वसीयतनामा उनके पिता जी द्वारा लिखा गया है वह मानसिक रूप से स्वस्थ्य

नहीं थे और पैतृक संपत्ति है मृतक के सभी वारिसानों को बराबर–बराबर हक व हिस्सा मुताबिक नियम बनता है, नियम के अनुसार पिता के जीवन काल में ही उनके पुत्र व पुत्रियां का उनकी संपत्ति में सभी का बराबर हक व हिस्स एक समान था जिसमें से वसीयतशुदा संपत्ति में मात्र एक भाग पिता का बनता है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि गिरीश कुमार की मुत्यु दिनांक 9.7.04 को हो जाने के पश्चात उसी वसीयतनामा के अनुसार उनकी धर्म पत्नी आवेदित आराजी की मालिक स्वामी हो गई थी जिनकी मृत्यु के पूर्व की भी कोई वसीयतनामा किसी पक्षकार के हक में नहीं किया था, इस कारण भी वसीयतनामा दिनांक 20.10.2000 गिरीश कुमार श्रीवास्तव की मृत्यु दिनांक 9.7.04 के पश्चात शून्य एवं शून्यवत हो गया था। इस संबंध में आवेदक कमांक–1 द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा साथ ही प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया गया था। जिसमें नामांतरण आवेदन का विरोध किया गया था। साथ ही यह तथ्य उल्लेख किया गया था कि वादग्रस्त भूमि एवं मकान लालता चौक स्थित मकान व दुकानों से प्राप्त होने वाली किराये की आमदनी से भूमि कय कर मकान का निर्माण दादी द्वारा कराया गया था इस कारण वादग्रस्त आराजी एवं मकान पैतृक जिसमें आवेदकगण एवं अनावेदकगण का बराबर बराबर हक व हिस्सा है। जिसका वसीयत अकेले एक व्यक्ति के नाम विधि अनुसर किया जाना संभव नहीं है। उक्त प्रकरण में में आवेदक कमांक–1 एवं उसके साक्षियों का तहसील में कथन कराया। अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.4.2015 विधि सम्मत एवं विधि के अनुकूल होने से कायम रखे जाने योग्य है। अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क भी किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा आदेश की कण्डिका–3 में विधिवत विधि अनुसार विवेचना किया है जिसमें यह तथ्य उल्लेख किया गया है कि प्रश्नागत वसीयतनामा में दो आराजियात उल्लिखित है प्रथम लालता चौक सतना स्थित नजूल भूमि का मकान एवं दूसरा धवारी मौजा राजस्व भूमि में स्थित मकान लालता चोक स्थित मकान के संबंध में नजूल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत वसीयत को अमान्य करते हुये वारिसाना नामांतरण पक्षकारों के नाम किया गया जिसकी पुष्टि भी वरिष्ठ न्यायालय से की जा चुकी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1959 की धारा 14 में हिन्दू नारी की संपत्ति उसकी अपनी होगी एवं नामांतरण के वाद उसकी मालिक होगी

वादग्रस्त मकान पर आवेदक कमांक–1 तहसील न्यायालय में यदि अपना स्वत्व चाहता है तो वह सिविल कोर्ट जायें क्यों कि उक्त प्रकरण में स्वत्व का विवाद निहित है। जिसका निराकरण तहसील न्यायालय से नहीं हो सकता इस कारण अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.4.15 में हस्तक्षेप की कोई गुजांइश नहीं है और उक्त आदेश कायम रखे जाने योग्य है और आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। अनावेदकगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का अध्ययन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक कमांक–1 द्वारा ग्राम धवारी की आवेदति भूमि का रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 20.10.2000 के आधार पर नारमांतरण किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अनावेदकगण द्वारा असहमति की गई। प्रकरण में उभयपक्ष के के साक्ष्य लिये गये। आवेदक द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु वसीयत के अनुप्रमाणक साक्षी के कथन अंकित कराये गयें साक्षी श्री जे0 पी0 निगम का कथन तहसील के प्रकरण पृष्ठ 53 एवं भाईलाल का कथन पृष्ठ कमांक 54 पर संलग्न है, के द्वारा अपने कथन में स्वीकार किया गया है कि वसीयतनामा उनके समक्ष लिखा गया तथा वसीयतकर्ता की इच्छा के अनुसार निष्पादित कराया गया है। अनुप्रमाणक साक्षियों के कथन से वसीयतनामा की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त वसीयतनामा दिनांक 20.10.2000 में स्पष्ट रूप से लेख किया गया है कि आवेदित भूमि वसीयतकर्ता की स्वअर्जित संपत्ति है तथा यह भी लेख किया गया है कि पूर्व में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 16.10.1989 को निरस्त करते हुये वसीयतकर्ता द्वारा अंतिम वसीयतनामा निष्पादित कराया जा रहा है। अनावेदकगण द्वारा साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है तो विचारण न्यायालय में अनावेदक कमांक–2 को पर्याप्त अवसर दिया गया था। अपर आयुक्त ने पैतृक संपत्ति के नामांतरण प्रकरण में अपील कमांक 1582/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 13.4.12 का उल्लेख करते हुये जो अवधारणा की है वह भी इस प्रकरण के लिये असंगत है वह प्रकरण पैतृक संपत्ति के

संबंध में है तथा आदेश दिनांक 13.4.12 के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन लंबित है जिसका प्रकरण कमांक 1208–एक/2012 है, इसका आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट होता है कि द्वितीय अपील में अनावेदकगण द्वारा यह भी उल्लेख कर दिया गया है कि वसीयतकर्ता मानसिक रूप से अस्वस्थ थे जबकि विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। वसीयतनामा मृतक भूमिस्वामी का अंतिम इच्छापत्र है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपर आयुक्त द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि वसीयतनामा में साक्षियों के कथन से पुष्टि होने के बाद भी अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है। अतः अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 27.04.2015 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना का प्रकरण कमांक 176/अ–6/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 25–04–2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना का प्रकरण कमांक 61/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 13–10–2014 उचित होने से स्थिर रखे जाते हैं तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 107/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 27–04–2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर